उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **758** /2401/2025/41-1-2025-CN-1896112**/**2025
लखनऊ:दिनांक: 21 अगस्त,2025

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद मऊ की पूर्ण हो चुकी 04 परियोजनाओं की जमा की गयी जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-713/2134/2025/1860/41-1-2025-CN-1896112-2025, दिनांक 12 अगस्त, 2025 के प्रस्तर-2 के तालिका के क्रमांक-3 पर अंकित परियोजना जनपद मऊ में विधान सभा मुहम्मदाबाद में स्थित देवल बाबा स्थल (सूर्य कुण्ड) का पर्यटन विकास कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ''रू0 49.34 लाख'' के स्थान पर ''रू0 49.84 लाख'' एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/ पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मऊ ।
4. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ ।
5. अपर आयुक्त (ग्रेड-**I**), वाणिज्य कर विभाग, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, आजमगढ मण्डल, आजमगढ़।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in